हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

वार्षिक रिपोर्ट

2015-2016

सी–11, सैक्टर–6, पंचकूला

वैबसाइट : डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एचएसपीसीबी.जीओवी.इन ई–मेल : एचएसपीसीबी.एचओ @जीमेल.कॉम

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एक सुरक्षित, स्वच्छ तथा हरित कल के लिए पर्यावरण के बचाव संरक्षण तथा गुणवत्ता के सुधार लाने के लिए अपने कर्मचारियों की वचनबद्धताओं, समन्वयों तथा योगदानों तथा सभी सहृदयतापूर्ण प्रयासों की प्रशंसा करता है ।

विषय सूची

अध्याय	शीषक	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1-2
2.	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के बारे में	3-5
3.	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की अमला संख्या	6-7
4.	बोर्ड के कार्यकलाप तथा अवसंरचना	8-11
5.	प्रदूषण, को कम करने के लिए कार्य योजनाएं / परियोजनाएं	12-14
6.	दोषी इकाईयों के विरुद्ध कार्रवाई	15-19
7.	सकल प्रदूषण और अत्याधिक प्रदूषण कारी 17 श्रेणी के उद्योग	20-22
8.	जागरुकता कार्यक्रम	23
9.	स्थापित और स"ोधित/अपग्रेड किए गए अप"िष्ट उपचार संयत्रो और वायु प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों का विस्तार ।	24-28
10.	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1977 के अधीन उपकर संग्रहण	29
11.	सतत् परिवे"ाी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग	30-34
12.	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सहमति	35-38
13.	खतरनाक अप"िष्ट (प्रबन्धन, निपटान तथा ट्रांसबाउण्डरी संचलन) नियम, 2008	39-43
14.	ई कचरा (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2011	44-47
15.	जैब चिकित्सा अप"िष्ट (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2011	48-50
16.	बैटरी (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2001	51
17.	प्लास्टिक अप"िष्ट (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2011	52-53
18.	प्र"िक्षण कार्यक्रम	54-57
19.	जन ि"ाकायतों का निवारण	58
20.	पर्यावरणोय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 14.09.2006 के तहत जन सुनवाई	59
21.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	60-61
22.	बजट रिपोर्ट	62

अध्याय – I

प्रस्तावना

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसे हरियाणा राज्य की अधिकारिता के भीतर पर्यावरणीय कानूनों तथा नियमों को लागू करने का कर्तव्य सौंपा गया है। बोर्ड राज्य के भीतर पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित विधानों, न्यायिक तथा वैधानिक घोषणाओं का उचित लागूकरण सुनिश्चित करता है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड प्रारम्भिक रुप से जल प्रदूषण को रोकने तथा नियन्त्रण करने तथा जल की गुणवत्ता को बनाए रखने या पुनरुद्धार करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन अधिसूचना संख्या 86/(4)(iv)/74/33298, दिनांक 19.09.1974 द्वारा गठित किया गया था। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के संसाधनों के संवर्धन की दृष्टि से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के लागूकरण की अतिरिक्त जिम्मेवारी भी सौंपी गई है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को वायु के गुण के संरक्षण तथा वायु प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन अतिरिक्त जिम्मेवारियां दी गई हैं। बोर्ड को बाद में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन जारी किए गए नियमों तथा अधिसूचनाओं के लागूकरण की जिम्मेवारी दी गई थी।

बोर्ड द्वारा लागू किए जा रहे विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियम तथा नियम नीचे दिए गए हैं :–

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम।
2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) उपकर अधिनियम, 1977 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम।
3. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम।
4. सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम।
5. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए गए निम्नलिखित नियम तथा जारी की गई अधिसूचनाएं :–

(i) खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, निपटान तथा ट्रांसबाउन्डरी संचलन) नियम, 2011

(ii) खतरनाक रसायन विनिर्माण, भण्डारण तथा आयात नियम, 1989

(iii) बायोमैडिकल अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2011

(iv) प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2011

(v) नगरपालिका ठोस कचरा (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2000

(vi) ई–कचरा (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2011

(vii) शोर प्रदूषण (विनियमन तथा नियन्त्रण) नियम, 2000

(viii) बैटरी (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2001

(ix) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006

(x) कोयला या प्रज्वलित आधारित थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न राख के उपयोग के लिए निर्देशों के बारे में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 14.09.1999 की अधिसूचना।

(xi) अरावली रेंज के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कतिपय गतिविधियों को प्रतिबन्धित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 07.05.1992 की अधिसूचना।

अध्याय – 2

हरियाणा राज्य प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड के बारे में

1.2 बोर्ड की रचना

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–4 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 5 संबंधित राज्यों में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के गठन के लिए राज्य सरकार को शक्ति मुहैया करती है। अधिनियम के कथित उपबन्धों के अनुसार, बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नामांकित अध्यक्ष, सदस्य–सचिव तथा पन्द्रह अन्य सदस्य शामिल हैं। बोर्ड के सदस्यों में सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों तथा राज्य नियन्त्रित निगमों के प्रतिनिधि तथा कृषि, मत्स्य, उद्योग या व्यापार के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ व्यक्ति भी शामिल हैं।

1.2.1. वर्श 2015–16 के दौरान बोर्ड का अध्यक्ष :

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री अनुराग रस्तोगी, आई ए एस	20.02.2015 से आगे

1.2.2. सरकारी सदस्य

1. निदेशक, पर्यावरण विभाग, हरियाणा, एस सी ओ नं0 1,2,3, सैक्टर –17 डी, दूसरी मंजिल, चण्डीगढ़ — सदस्य
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, एस सी ओ नं0 6–7, सैक्टर –17 बी, चण्डीगढ़ — सदस्य
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला — सदस्य
4. परिवहन आयुक्त, हरियाणा, 30–बेज बिल्डिंग, चण्डीगढ़ — सदस्य

5. मुख्य अभियन्ता, सदस्य
   जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग,
   हरियाणा, पंचकुला
6. सदस्य सचिव, सदस्य सचिव
   हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
   सी–11, सैक्टर –6, पंचकुला

1.2.3 स्थानीय प्राधिकरणों से सदस्य

1. कुमारी वीना देशवाल, अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य
   जीन्द, मकान नं0 2642, शहरी सम्पदा, जीन्द
2. श्री अशोक अरोड़ा, सदस्य
   मेयर, एम सी, फरीदाबाद
3. श्री जितेन्द्र भारद्वाज सपुत्र श्री सुभाष चन्द, सदस्य
   एम–39, ओल्ड डी एल एफ, निकट सैक्टर –14,
   गुड़गांव
4. श्री सुरिन्द्र लाल प्रजापत, सदस्य
   उपाध्यक्ष, एम सी धारुहेड़ा, फरीदाबाद
   मकान नं0 1016, सैक्टर –15, फरीदाबाद

1.2.4 कृशि, मत्स्य, उद्योग तथा व्यापार आदि से सदस्य

1. श्री तरुण यादव, सदस्य
   गांव व डाकखाना पालावास बोहराण,
   तहसील कोसली, रेवाड़ी
2. अरविन्द कपूर, एम डी, सदस्य
   रिचो आटो उद्योग, 33 के एम स्टोन,
   दिल्ली–जयपुर राजमार्ग, गुड़गांव
3. श्री सुनिल राय, मकान नं0 444, सैक्टर–3, सदस्य
   शहरी सम्पदा, रेवाड़ी

1.2.5 निगमों तथा कम्पनियों से सदस्य

1. प्रबन्धक निदेशक, सदस्य
   हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम
2. प्रबन्धक निदेशक, सदस्य
   हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना
   विकास निगम, पंचकुला

अध्याय – 3

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की अमला संख्या

कम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	भरे हुए	रिक्त
श्रेणी –I				
1.	अध्यक्ष	01	01	–
2.	सदस्य–सचिव	01	01	–
3.	पर्यावरणीय इंजीनियर	16	13	03
4.	विज्ञानी "ग"	06	05	01
5.	जिला न्यायवादी	01	01	–
श्रेणी –II				
1.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	01	01	–
2.	सहायक जिला न्यायवादी	03	02	01
3.	विज्ञानी "ख"	11	09	02
4.	सहायक पर्यावरणीय इंजीनियर	33	29	04
5.	तहसीलदार	01	–	01
6.	रजिस्ट्रार	01	01	–
7.	अधीक्षक	03	03	–
8.	निजी सचिव	01	01	–
श्रेणी –III				
1.	अनुभाग अधिकारी (लेखा)	01	01	–
2.	सांख्यिकीय सहायक	02	–	02
3.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	04	04	–
4.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	06	01	05
5.	निजी सहायक	01	01	–
6.	कनिष्ठ पर्यावरणीय इंजीनियर	11	06	05
7.	वरिष्ठ स्तर आशुलिपिक	03	02	01
8.	सहायक	19	18	01
9.	लेखाकार	04	02	02

10.	कनिष्ठ प्रोग्रामर	02	02	–
11.	कनिष्ठ स्तर आशुलिपिक	02	01	01
12.	लेखा लिपिक	02	–	02
13.	आशुटंकक	13	–	13
14.	लिपिक	30	25	05
15.	चालक	17	12	05
16.	प्रयोगशाला परिचारक	04	03	01
श्रेणी–IV				
1.	दफतरी	01	01	–
2.	वरिष्ठ सेवादार	02	02	–
3.	सेवादार	30	10	20
4.	माली–कम–चौकीदार	02	02	–
5.	क्षेत्र परिचारक	10	05	05
6.	स्वीपर	01	01	–
कुल		**246**	**166**	**80**

अध्याय–4

बोर्ड के कार्यकलाप तथा अवसंरचना

4.1 बोर्ड के अनिवार्य कार्यकलाप

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–17 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–17 में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की विधिक रुप से अनिवार्य जिम्मेवारियॉ स्पष्ट रुप से विहित हैं जिसका संक्षिप्त सार निम्न अनुसार है :–

- राज्य में जल तथा वायु प्रदूषण के निवारण, नियन्त्रण करने या कम करने तथा उसके निष्पादन को पक्का करने के लिए व्यापक प्रोग्राम की योजना तैयार करना;
- जल तथा वायु प्रदूषण के निवारण, नियन्त्रण या कम करने से संबंधित किसी मामले पर राज्य सरकार का सलाह देना;
- जल तथा वायु प्रदूषण से संबंधित सूचना एकत्र करना तथा उसके निवारण, नियन्त्रण या कम करने के लिए प्रचार करना;
- जल प्रदूषण की समस्या तथा जल प्रदूषण के निवारण, नियन्त्रण तथा कम करने से संबंधित अन्वेषण तथा अनुसन्धान को प्रोत्साहित करना, संचालन करना तथा उसमें भाग लेना;
- जल तथा वायु प्रदूषण के निवारण, नियन्त्रण या कम करने से संबंधित कार्यक्रमों में लगे या लगाए जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण आयोजित करने तथा उससे संबंधित व्यापक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए केन्द्रीय बोर्ड को सहयोग देना;
- मल जल तथा व्यापार बहिःस्राव के उपचार के लिए स्थापित मलजल या व्यापार बहिःस्राव उपचार संकर्म तथा संयन्त्रों तथा जल के उपचार के लिए स्थापित संयन्त्रों, उसके शुद्धिकरण के लिए संकर्मों से संबंधित योजनाओं, विशिष्टियों या अन्य डाटा के पुनरीक्षण तथा मलजल या व्यापार बहिःस्राव के निपटान के लिए प्रणाली या कोई सहमति देने के संबंध में जो जल अधिनियम या वायु अधिनियम द्वारा अपेक्षित हो या कोई प्राधिकार या रजिस्ट्रेशन देने के संबंध में जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित हो, का निरीक्षण करना;
- सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी नियन्त्रण उपकरण, औद्योगिक संयन्त्र या विनिर्माण प्रक्रिया का निरीक्षण करना तथा ऐसे व्यक्तियों को आदेश द्वारा ऐसे निर्देश देना जो

यह वायु प्रदूषण के निवारण, नियन्त्रण या कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने आवश्यक समझे।

- ऐसे अन्तरालों पर वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र का निरीक्षण करना जो यह उसमें वायु गुण के निर्धारण तथा ऐसे क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के निवारण, नियन्त्रण या कम करने के लिए कदम उठाने आवश्यक समझे;
- मलजल तथा व्यापार बहिःस्राव तथा बहिःस्राव के निर्वहन के परिणामस्वरुप जल प्राप्ति (अन्तर–राज्य नदी में जल का नहीं) के गुण तथा राज्य के जल का वर्गीकरण करने के लिए मानक अधिकथित करना, संशोधित करना या वार्षिक बहिःस्राव मानक अधिकथित करना;
- केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श से तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अधिकथित वायु गुण के लिए मानकों, औद्योगिक संयन्त्रों तथा आटोमोबाइल से वातावरण मे वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के मानकों को ध्यान में रखते हुए तथा किसी भी प्रकार के किसी अन्य स्त्रोत जहाज तथा वायुयान के कारण नहीं, वातावरण में किन्हीं वायु प्रदूषकों के निर्वहन के लिए मानक अधिकथित करना;
- विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी, जलवायु तथा जल संसाधनों की विशिष्ट स्थिति तथा नदी तथा कुओं में जल के विशेष रुप से अधिक अभिभावी बहाव को ध्यान में रखते हुए मलजल तथा व्यापार बहिःस्राव के उपचार के लाभकारी तथा विश्वसनीय पद्धति तैयार करना जो तनुकरण की न्यूनतम डिग्री प्राप्त करने के लिए उसे असंभव करे;
- कृषि तथा अन्य उपयोगों में मलजल तथा उपयुक्त व्यापार बहिःस्राव के उपयोग की पद्धति तैयार करना;
- भूमि पर मलजल तथा व्यापार बहिःस्राव के निपटान की पर्याप्त पद्धति तैयार करना जो अल्प नदी बहाव की अभिभावी स्थिति के कारण आवश्यक हो कि वर्ष के बड़े भाग के लिए तनूकरण की न्यूनतम डिग्री मुहैया नहीं करती है;
- किसी विशेष नदी में उपलब्ध न्यूनतम स्वच्छ मौसम तनूकरण को ध्यान में रखते हुए उस नदी में बहाए जाने वाले मलजल तथा व्यापार बहिःस्राव के उपचार तथा ऐसे बहिःस्राव के निर्वहन के बाद नदी के जल में अनुज्ञेय प्रदूषण की सहन सीमाओं के मानक अधिकथित करना;
- नदी या कुओं में अपशिष्ट के निर्वहन के निवारण, नियन्त्रण तथा कम करने के लिए तथा मलजल तथा व्यापार बहिःस्राव के निपटान के लिए नई प्रणाली का निर्माण करने के लिए संबंधित किसी व्यक्ति से अपेक्षा करने या किसी ऐसी विद्यमान प्रणाली को संशोधित करने, बदलने या विस्तार करने या ऐसे उपचारी उपाय अपनाने के लिए कोई आदेश करना, परिवर्तित करना या रद्द करना जो जल प्रदूषण को रोकने, नियन्त्रण या कम करने के लिए आवश्यक हो;

- मलजल या मलिन जल या दोनों का निर्वहन करते समय व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले बहिःस्राव मानक अधिकथित करना तथा मलजल तथा व्यापार बहिःस्राव के लिए बहिःस्राव मानक अधिकथित, संशोधित या रद्द करना;
- किसी उद्योग के किन्हीं परिसरों या स्थान की उपयुक्तता के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना जिसमें वायु प्रदूषण करने की संभावना या किसी नदी या कुएं को प्रदूषित करने की संभावना है;
- ऐसे अन्य कार्य करना जो विहित किए जाएं या जो समय–समय पर केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं; तथा
- ऐसी अन्य बातें करना तथा ऐसे अन्य कार्य करना जो वह अपने कार्यों के उचित निर्वहन के लिए तथा साधारणतया वायु अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे।

यद्यपि बोर्ड की प्राथमिक जिम्मेवारी हरियाणा राज्य में पर्यावरणीय विनियमों को लागू करने के लिए है किन्तु पिछले दशक के दौरान प्रदूषण को नियन्त्रित करने तथा सामंजस्य के माध्यम से लम्बे समय से विभिन्न स्थाई पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान भी करने के लिए आर्थिक साधनों सहित कमाण्ड तथा नियन्त्रण प्रणाली के विवेकपूर्ण मिश्रण से पर्यावरणीय विनियमों को लागू करने की धारणा में प्रतिमान बदल गया है। जहां बोर्ड अपने अनिवार्य कार्यकलापों से बाहर चला गया है तथा सरकारी विभागों की परियोजनाओं में प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए प्रोत्साहक के रुप में कार्य कर रहा है, सहायता मुहैया कर रहा है।

4.2 बोर्ड की अवसंरचना

बोर्ड की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है जिसका मुख्यालय पंचकुला में है। राज्य में बोर्ड के 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि धारुहेड़ा, बल्लभगढ़, गुड़गांव, मानेसर, फरीदाबाद (दो), बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत, पंचकुला, हिसार, यमुनानगर तथा जीन्द में स्थित हैं। बोर्ड ने विभिन्न उद्योगों/परियोजनाओं के बहिःस्राव/जल तथा वायु उत्सर्जन तथा जल निकायों तथा परिवेशी वायु गुण के विभिन्न किस्म के नमूनों के विश्लेषण के कार्य करने के लिए पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद तथा हिसार में चार प्रयोगशालाएं स्थापित की है।

4.3 बोर्ड की कार्यात्मक संरचना

बोर्ड अपने इंजीनियरिंग विंग, वैज्ञानिक विंग, कानूनी विंग, प्रशासकीय विंग, लेखा विंग तथा सूचना प्रोद्योगिकी सैल के माध्यम से कार्य करता है। इंजीनियरिंग विंग की अध्यक्षता पर्यावरणीय इंजीनियरों द्वारा की जाती है तथा मुख्य रुप से हरियाणा राज्य में विभिन्न पर्यावरणीय विधानों को लागू करने में शामिल है जिसमें लोक शिकायतों के कार्य की निगरानी तथा उनका निवारण करना भी शामिल है।

बोर्ड की चार प्रयोगशालाओं की देखभाल करने के लिए वैज्ञानिक विंग की अध्यक्षता विज्ञानियों द्वारा की जाती है तथा विभिन्न पर्यावरणीय मानीटरिंग परियोजनाओं तथा विभिन्न पर्यावरणीय विधानों को लागू करने में भी शामिल है।

विभिन्न कानूनी न्यायालयों में बोर्ड के विधिक पहलुओं की देखभाल करने तथा उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए विधिक विंग की अध्यक्षता जिला न्यायवादी द्वारा की जाती है।

प्रशासकीय विंग बोर्ड के कर्मचारियों के प्रशासकीय तथा व्यक्तिगत मामलों की देखरेख कर रहा है।

लेखा विंग बोर्ड के लेखों तथा वित्त से संबंधित मामलों की देखरेख कर रहा है।

अध्याय –5

प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाएं/परियोजनाएं

5.1 पानीपत तथा फरीदाबाद के गंभीर आलोचनात्मक रुप से प्रदूषित क्षेत्रों के लिए कार्य योजना के कार्यवयन की स्थिति

पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2009 के दौरान देश के 88 औद्योगिक समूहों का इन समूहों के प्रदूषण स्तर के बारे में स्थिति का पता लगाने के लिए अध्ययन कराया था। अध्ययन केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (सी पी सी बी) तथा आई आई टी, दिल्ली द्वारा किया गया था तथा 88 समूहों में से पानीपत नगरपालिका क्षेत्र तथा फरीदाबाद औद्योगिक समूहों की व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूची स्कोर के आधार पर आलोचनात्मक रुप से प्रदूषित क्षेत्रों के रुप में पहचान की गई थी। पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय ने इन औद्योगिक समूहों के पर्यावरण गुण में सुधार करने के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु संबंधित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों को निर्देशित किया था। तदानुसार हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (एच एस पी सी बी) ने सी पी सी बी द्वारा जारी मार्गदर्शनों के अनुसार पानीपत तथा फरीदाबाद नगरों में प्रदूषण को कम करने तथा नियन्त्रण करने के लिए कार्य योजना तैयार की। कार्य योजना सी पी सी बी द्वारा दिए गए इन्पुट के आधार पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी।

सी पी सी बी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, हरियाणा सरकार ने अधिसूचना संख्या 16/12/2011–3ई, दिनांक 30.12.2011 द्वारा फरीदाबाद तथा पानीपत नगरों की कार्य योजना के लागूकरण की प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिए मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता के अधीन राज्य स्तरीय समिति गठित की थी तथा फरीदाबाद तथा पानीपत नगरों के आलोचनात्मक रुप से प्रदूषित क्षेत्रों की कार्य योजनाओं के लागूकरण का नियमित रुप से अनुवर्तन करने के लिए अधिसूचना संख्या 16/12/2011–3ई, दिनांक 19.01.2012 द्वारा जिला स्तरीय समितियां भी गठित की गई थी। कार्य योजनाओं के लागूकरण के लिए जिम्मेवार सभी पणधारियों को निर्धारित समय सीमा के अनुसार उसको लागू करने के लिए निर्देशित किया गया था। कार्य योजना लागूकरण के अधीन है।

एच एस पी सी बी इन नगरों के प्रदूषण को कम करने तथा नियन्त्रित करने के लिए कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए सभी पणधारियों का पीछा कर रहा है।

5.2 पानीपत की रंगाई इकाईयों को गैर–अनुरुप क्षेत्र से हुड्डा द्वारा विकसित अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र में बदलना।

पानीपत नगर की मुख्य समस्या आवासीय तथा गैर–अनुरुप क्षेत्रों में स्थित वस्त्र रंगाई इकाईयों द्वारा प्रदूषण करना था। पूर्व वस्त्र रंगाई इकाई पानीपत जल निकास तथा नगर में से गुजरने वाले अन्य जल निकासों में या सेस पूल में प्रदूषित बहिःस्राव छोड़ा जा रहा था जिससे पर्यावरण का तथा भूमिगत तथा सतह जल का निम्नीकरण हो रहा था।

तदानुसार, रंगाई इकाईओं को बदलने के बारे में मामले को वर्ष 2001 में पर्यावरण संरक्षण परिषद की बैठक में उठाया गया था। पर्यावरण संरक्षण परिषद में लिए गए निर्णय के अनुसार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र में पानीपत के आवासीय तथा गैर–अनुरुप क्षेत्रों से रंगाई इकाईओं को बदलने के लिए अवसंरचना की योजना बनाने तथा विकास करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया था।

एस डी एम, पानीपत, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, पानीपत तथा जी एम डी आई सी, पानीपत के अधिकारियों की टीम द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 494 इकाईयां जो कि पानीपत के आवासीय तथा गैर–अनुरुप क्षेत्रों में स्थित थी, को हुड्डा द्वारा विकसित किए जाने वाले सामूहिक बहिःस्राव उपचार संयन्त्र (सी ई टी पी) सहित अनूमोदित औद्योगिक सम्पदा में बदलने के लिए पहचान की गई थी।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुड्डा) ने सामूहिक बहिःस्राव उपचार संयन्त्र सहित आवासीय तथा गैर–अनुरुप क्षेत्रों में स्थित इन सभी वस्त्र रंगाई इकाईयों को बदलने के लिए सैक्टर–29, भाग–II, पानीपत के औद्योगिक क्षेत्र में एक परियोजना तैयार तथा विकसित की। तदानुसार, पानीपत के आवासीय तथा गैर–अनुरुप क्षेत्रों में चलाई जा रही इस परियोजना में आने वाले उद्योगों को औद्योगिक सम्पदा, सैक्टर–29, भाग–II, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में बदलने के लिए स्वीकार कराया गया था जिसमें 21 एम एल डी क्षमता का एक सामूहिक बहिःस्राव उपचार संयन्त्र पहले ही स्थापित किया गया है। 21 एम एल डी क्षमता का एक अतिरिक्त सी ई टी पी हुड्डा द्वारा सैक्टर–29, भाग–II,

पानीपत में निर्माणाधीन है। 357 उद्योगों को वित्त वर्ष 2015–16 की समाप्ति तक सैक्टर–29, भाग–II, पानीपत में बदला गया है।

अध्याय– 6

दोषी इकाईयों के विरुद्ध कार्रवाई

6.1 बन्द करने की (बन्दी) कार्यवाई

बोर्ड ऐसी इकाईयां जो जल अधिनियम, 1974/वायु अधिनियम, 1981 के अधीन प्रदूषकों के निर्वहन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती है या सहमति प्राप्त करने में असफल हैं या समय–समय पर विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियमों के अधीन बोर्ड या सरकार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा जारी निर्देशनों का अनुपालन करने में असफल होती है, के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33–क के अधीन, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1986 की धारा 31–क के अधीन तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन बन्दी कार्रवाई कर रहा है।

उपरोक्त कथित अधिनियमों के अधीन अनुपालन न करने के कारण चूक करने वाली इकाईयों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेशों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :–

क्षेत्र	**ई पी अधिनियम, 1986 के अधीन जारी किए गए बन्दी आदेश इकाईयां की संख्या**	**जल अधिनियम, 1974 के अधीन जारी किए गए बन्दी आदेश इकाईयों की संख्या**	**वायु अधिनियम, 1981 के अधीन जारी किए गए बन्दी आदेश इकाईयों की संख्या**	**जल तथा वायु अधिनियम के अधीन संयुक्त रुप से जारी किए गए बन्दी आदेश इकाईयों की संख्या**	**जारी किए गए बन्दी आदेश इकाईयों की कुल संख्या**
बहादुरगढ़	0	4	32	50	86
बल्लभगढ़	0	1	1	41	43
धारुहेड़ा	0	0	27	6	33
फरीदाबाद	0	138	37	0	175
गुड़गांव (उत्तर)	0	0	5	0	5
गुड़गांव (दक्षिण)	0	0	21	3	24

हिसार	0	0	7	7	14
जीन्द	0	0	12	42	54
पंचकुला	51	0	15	63	129
पानीपत	0	4	3	19	26
सोनीपत	0	0	0	24	24
यमुनानगर	0	0	0	18	18
कुल	**51**	**147**	**160**	**273**	**631**

6.2 विधिक कार्रवाई

बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन विशेष पर्यावरण न्यायालयों में न्यायालय मामले दायर करते हुए उपरोक्त कथित अधिनियमों/नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी कर रहा है।

न्यायालय मामलों की स्थिति नीचे दी गई है :–

(क) दायर किए गए नए मामले :

क्षेत्र	**इकाईयों की संख्या जिनके विरुद्ध ई पी अधिनियम, 1986 के अधीन न्यायालय मामला दायर किया गया है**	**इकाईयों की संख्या जिनके विरुद्ध जल अधिनियम, 1974 के अधीन न्यायालय मामला दायर किया गया है**	**इकाईयों की संख्या जिनके विरुद्ध वायु अधिनियम, 1981 के अधीन न्यायालय मामला दायर किया गया है**	**इकाईयों की संख्या जिनके विरुद्ध जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन न्यायालय मामला एक साथ दायर किय गया है**
बहादुरगढ़	0	0	0	5
बल्लभगढ़	0	0	0	6
धारुहेड़ा	0	0	0	0

फरीदाबाद	1	0	0	0
गुड़गांव (उत्तर)	0	0	0	0
गुड़गांव (दक्षिण)	0	0	0	0
हिसार	0	0	9	0
जीन्द	2	0	0	0
पंचकुला	0	0	0	0
पानीपत	0	0	2	0
सोनीपत	0	0	0	0
यमुनानगर	3	0	0	0
कुल	**6**	**0**	**11**	**11**

(ख) निर्णीत न्यायालय मामले

क्षेत्र	ई पी अधिनियम के अधीन निर्णीत न्यायालय मामलों की संख्या	जल अधिनियम, 1974 के अधीन निर्णीत न्यायालय मामलों की संख्या	वायु अधिनियम, 1981 के अधीन निर्णीत न्यायालय मामलों की संख्या
बहादुरगढ़	0	0	2
बल्लभगढ़	0	1	0
धारुहेड़ा	2	1	9
फरीदाबाद	0	0	0
गुड़गांव (उत्तर)	26	3	0
गुड़गांव (दक्षिण)	0	0	0
हिसार	0	0	3
जीन्द	1	33	0
पंचकुला	5	0	2
पानीपत	3	2	1
सोनीपत	1	0	0
यमुनानगर	3	4	0
कुल	**41**	**44**	**17**

(ग) विशेष पर्यावरण न्यायालयों मे लम्बित न्यायालय मामले :

क्षेत्र	ई पी अधिनियम, 1986/जल अधिनियम, 1974/वायु अधिनियम, 1986 के अधीन लम्बित मामलों की संख्या
बहादुरगढ़	40
बल्लभगढ़	11
धारुहेड़ा	26
फरीदाबाद	1
गुड़गांव (उत्तर)	139
गुड़गांव (दक्षिण)	0
हिसार	6
जीन्द	23
पंचकुला	11
पानीपत	13
सोनीपत	8
यमुनानगर	13
कुल	**291**

अध्याय–7

घोर रुप से प्रदूशित तथा उच्च रुप से प्रदूशित 17 वर्ग के उद्योग

7.1 घोर रुप से प्रदूषण वाले उद्योग – जी पी आई

जलमार्ग में बहिःस्राव छोड़ने वाले उद्योग तथा (क) खतरनाक पदार्थों का निपटान, या (ख) 100 किलाग्राम प्रति दिन या अधिक के बी ओ डी भार वाले बहिःस्राव, या (ग) (क) तथा (ख) के संयोजन को केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (सी पी सी बी) द्वारा घोर रुप से प्रदूषित इकाई के रुप में वर्गीकृत किया है। वर्ष 1993–94 में, सी0 पी0 सी0 बी0 ने प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप से नदियों में अनुपचारित बहिःस्राव के निर्वहन का नियन्त्रण करने के लिए नदियों के साथ उद्योगों की पहचान करनी शुरु की है।

जल अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) के अधीन सी पी सी बी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा घोर रुप से प्रदूषित उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए जी0 पी0 आई0 को सूचीबद्ध करने के लिए 14 जुलाई, 1997 को सभी राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों/प्रदूषण नियन्त्रण समितियों को निर्देश जारी किए गए थे।

उपरोक्त मापदण्ड के अनुसार हरियाणा में घोर रुप से प्रदूषित उद्योगों की स्थिति नीचे दी गई है :–

क्षेत्र	घोर रुप से प्रदूषित उद्योग	ई टी पी की स्थिति (स्थापित की गई/स्थापित नहीं की गई)	ई टी पी पर आनलाईन मानीटरिंग प्रणाली लगाई गई इकाईयों की संख्या
बहादुरगढ़	65	स्थापित	0
बल्लभगढ़	120	स्थापित	0
धारुहेड़ा	12	स्थापित	12
फरीदाबाद	15	स्थापित	0

गुड़गांव (उत्तर)	126	स्थापित	7
गुड़गांव (दक्षिण)	3	स्थापित	3
हिसार	0	–	0
जीन्द	10	स्थापित	9
पंचकुला	34	स्थापित	7
पानीपत	131	स्थापित	0
सोनीपत	99	स्थापित	0
यमुनानगर	8	स्थापित	8
कुल	**505**		**46**

7.2 उच्च रुप से प्रदूषण वाले 17 प्रवर्ग के उद्योग

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उच्च रुप से प्रदूषित उद्योगों में पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 16 जनवरी, 1991 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्राथमिक कार्रवाई के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम सूत्रबद्ध किया है।

सी0 पी0 सी0 बी0 ने भारी प्रदूषित उद्योगों के 18 प्रवर्गों का चयन किया है तथा विचार–विमर्श के बाद उच्च रुप से प्रदूषित उद्योगों के 17 प्रवर्गों का सी0 पी0 सी0 बी0 के माध्यम से नियमित पीछा करने का निश्चय किया है जिनके ब्योरे निम्न अनुसार है :–

एल्यूमिनियम प्रगलन, बेसिक ड्रग तथा फार्मासियुटिकल निर्माण, चलोर अल्काली/कास्टिक सोडा, सीमेन्ट, तांबा प्रगलन, रंग तथा रंग मध्यस्थ, आसवनी, उर्वरक, समेकित लोहा तथा इस्पात, चर्म शोधन सहित चमड़ा संसाधन, तेल परिष्करण शाला, कीटनाशी निर्माण, गूदा या कागज, पैट्रोरसायन, चीनी, थर्मल पावर प्लांट तथा जींक प्रगलन।

उच्च रुप से प्रदूषित उद्योगों के 17 प्रवर्गों की स्थिति नीचे दी गई है :–

क्षेत्र	**17 प्रवर्ग उद्योगों की संख्या**	**लगाई गई प्रदूशण नियन्त्रण युक्ति की स्थिति**		**लगाई गई आनलाईन मानीटरिंग प्रणाली इकाईयों की संख्या**	
		ई टी पी	**ए पी सी एम**	**ई टी पी**	**ए पी सी एम**
बहादुरगढ़	26	26	26	4	5
बल्लभगढ़	4	4	4	3	2
धारुहेड़ा	1	1	1	1	1
फरीदाबाद	4	4	4	0	0
गुड़गांव (उत्तर)	1	1	0	1	1
गुड़गांव (दक्षिण)	3	3	0	3	0
हिसार	5	5	5	3	3
जीन्द	7	7	7	7	7
पंचकुला	9	9	9	8	8
पानीपत	9	7	9	0	9
सोनीपत	27	23	27	0	0
यमुनानगर	10	10	10	9	9
कुल	**102**	**100**	**98**	**39**	**45**

अध्याय–8

जागरुकता प्रोग्राम

विभिन्न पर्यावरण समस्याओं पर जागरुकता उत्पन्न करने के लिए हरियाणा राज्य के विभिन्न स्थानों पर वर्ष 2015–16 के दौरान जागरुकता प्रोग्राम आयोजित किए गए।

वर्ष 2015–16 के दौरान आयोजित जागरुकता प्रोग्रामों के ब्योरे क्षेत्रवार नीचे दिए गए हैं :–

क्षेत्रीय कार्यालय	**आयोजित जागरुकता प्रोग्रामों की संख्या**
बहादुरगढ़	5
बल्लभगढ़	3
धारुहेड़ा	4
फरीदाबाद	11
गुड़गांव (उत्तर)	4
गुड़गांव (दक्षिण)	6
हिसार	3
जीन्द	3
पंचकुला	6
पानीपत	3
सोनीपत	2
यमुनानगर	2
कुल	**50**

अध्याय–9

स्थापित तथा संशोधित/अपग्रेडिड बहिःस्राव उपचार संयन्त्रों तथा वायु प्रदूशण नियन्त्रण यन्त्रों के ब्योरे

9.1 बहिःस्राव उपचार संयन्त्र (ई टी पी)/मलजल उपचार संयन्त्र (एस टी पी)

व्यापार बहिःस्राव तथा घरेलू बहिःस्राव (10 किलो लीटर प्रतिदिन से अधिक) उत्पन्न करने वाली सभी प्रदूषित औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं के लिए विहित पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उसका नियमित रुप से रख–रखाव करने तथा उसके बाद प्रभावशाली रुप से उसे चलाने के लिए उसे चालू करने से पूर्व ई टी पी/एस टी पी लगाने अपेक्षित हैं।

9.1.1 वर्ष 2015–16 के दौरान नए ई टी पी/एस टी पी लगाने वाली इकाईयों/परियोजनाओं के ब्योरे :–

क्षेत्र	नई ई टी पी/एस टी पी लगाने वाले उद्योगों/परियोजनाओं की संख्या
बहादुरगढ़	10
बल्लभगढ़	8
धारुहेड़ा	11
फरीदाबाद	19
गुड़गांव (उत्तर)	2
गुड़गांव (दक्षिण)	20
हिसार	16
जीन्द	8
पंचकुला	11
पानीपत	51
सोनीपत	27
यमुनानगर	22
कुल	**205**

9.1.2 वर्ष 2015–16 के दौरान संशोधित/अपग्रेडिड ई टी पी/एस टी पी वाले उद्योगों/परियोजनाओं के ब्योरे :–

क्षेत्र	**संशोधित/अपग्रेडिड ई टी पी/एस टी पी वाले उद्योगों/परियोजनाओं की संख्या**
बहादुरगढ़	7
बल्लभगढ़	3
धारुहेड़ा	4
फरीदाबाद	1
गुड़गांव (उत्तर)	8
गुड़गांव (दक्षिण)	13
हिसार	8
जीन्द	0
पंचकुला	10
पानीपत	37
सोनीपत	7
यमुनानगर	4
कुल	**102**

9.1.3 वर्ष 2015–16 के दौरान स्थापित औद्योगिक समूहों/सम्पदाओं के लिए नगरों में मलजल उपचार संयन्त्र (एस टी पी) तथा सामूहिक बहिःस्राव उपचार संयन्त्र (सी ई टी पी)

क्षेत्र	**नगरों में लगाए गए नए एस टी पी/सी ई टी पी की संख्या**
बहादुरगढ़	3
बल्लभगढ़	1
धारुहेड़ा	0

फरीदाबाद	1
गुड़गांव (उत्तर)	0
गुड़गांव (दक्षिण)	4
हिसार	3
जीन्द	0
पंचकुला	7
पानीपत	4
सोनीपत	8
यमुनानगर	10
कुल	**41**

9.2 वायु प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र (ए पी सी डी)

9.2.1 वायु उत्सर्जन के स्त्रोत वाली सभी प्रदूषित औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं के लिए प्रदूषण के स्त्रोत से संलग्न ढ़ेरों से उत्पन्न विविक्त मामलों तथा गैसीय उत्सर्जन तथा विहित पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया से उत्पन्न अस्थायी उत्सर्जन को नियन्त्रित करने के लिए उसका नियमित रुप से रख रखाव करने तथा उसके बाद उसे प्रभावी रुप से चलाने से पूर्व ए पी सी डी लगाने अपेक्षित हैं।

9.2.2 वर्ष 2015–16 के दौरान नए ए पी सी डी लगाने वाली औद्योगिक इकाईयों के ब्योरा

क्षेत्र	**नए ए पी सी डी लगाने वाले उद्योगों/परियोजनाओं की संख्या**
बहादुरगढ़	20
बल्लभगढ़	7
धारुहेड़ा	24
फरीदाबाद	0
गुड़गांव (उत्तर)	10

गुड़गांव (दक्षिण)	6
हिसार	29
जीन्द	47
पंचकुला	12
पानीपत	37
सोनीपत	42
यमुनानगर	54
कुल	**288**

9.2.2 वर्ष 2015–16 के दौरान संशोधित/अपग्रेडिड ए पी सी डी वाले उद्योगों के ब्योरे

क्षेत्र	**नए ए पी सी डी लगाने वाले उद्योगों/परियोजनाओं की संख्या**
बहादुरगढ़	4
बल्लभगढ़	0
धारुहेड़ा	18
फरीदाबाद	0
गुड़गांव (उत्तर)	0
गुड़गांव (दक्षिण)	2
हिसार	1
जीन्द	5
पंचकुला	9
पानीपत	0
सोनीपत	0
यमुनानगर	3
कुल	**42**

अध्याय–10

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1977 के अधीन उपकर संग्रहण

भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से उद्योगों तथा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा खपत जल पर उपकर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण का उपबन्ध करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1977 अधिनियमित किया है। जल उपकर अधिनियम, 1977 प्रथम अप्रैल, 1978 से लागू हुआ था। अधिनियम की धारा 2 तथा धारा 3 में परिभाषित स्थानीय प्राधिकरण तथा उद्योग उपरोक्त कथित अधिनियम में विहित दरों पर उपकर का भुगतान करने के लिए दायी हैं।

वर्ष 2015–16 के दौरान 59391220/– रुपये संग्रहित किए हैं तथा जिलावार ब्योरे नीचे दिए गए हैं :–

क्षेत्र का नाम	निर्धारित उपकर	संग्रहित उपकर
बहादुरगढ़	8387734	6331735
बल्लभगढ़	5444983	4710075
धारुहेड़ा	3212551	2440383
फरीदाबाद	4085031	4044029
गुड़गांव (उत्तर)	9783282	4471879
गुड़गांव (दक्षिण)	12121798	2376736
हिसार	2844611	4625628
जीन्द	2610278	1004911
पंचकुला	6378268	5092770
पानीपत	11253939	12737253
सोनीपत	3297607	2473896
यमुनानगर	9193370	9081925
कुल	**78613444**	**59391220**

नोट :– संग्रहित उपकर की राशि में उपकर का बकाया भी शामिल है।

अध्याय–11

सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी

11.1 सामान्य

देश के आर–पार वायु प्रदूषण के बढ़ने से बारह पैरामीटरों के लिए संशोधित राष्ट्रीय परिवेशी वायुगुण मानक पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय (एम ओ ई एफ) द्वारा वर्ष 2009 में अधिसूचित किए थे जिसमें गैसीय उत्सर्जन जैसे कि सल्फर डाईओक्साईड, नाईट्रोजन डाईओक्साईड, ओजोन, सीसा, कार्बन मोनोओक्साईड, अमोनिया, बैनजीन, बैन्जो (क), संखिया, 10 माईक्रोन तथा 2.5 माईक्रोन इत्यादि से कम आकार के निक्कल तथा विविक्त मामले शामिल हैं। संशोधित मानकों के अनुसार, आवासीय, ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रों में वही मानक हैं।

संशोधित परिवेशी वायुगुण मानक वायु प्रदूषण तथा जन स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए विधिक ढ़ांचा मुहैया करते हैं जो कि बेहतर वायुगुण के लिए न्यायालय में पंहुच के लिए किसी नागरिक के लिए उपबन्ध करता है। भारत में ये मानक केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (सी पी सी डी) द्वारा शासित है तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड/प्रदूषण नियन्त्रण समितियों द्वारा लागू किए जाते हैं।

सतत् परिवेशी वायुगुण मानीटरिंग में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अन्तःसम्पर्क से उपयुक्त साफ्टवेयर के साथ पी सी आधारित डाटा अर्जन प्रणाली सहित गैस तथा बी टी एक्स विश्लेषक, धूल विश्लेषक, मौसम मानीटर तथा सम्बद्ध सहायक मदों को मिलाकर सी पी सी बी/एस पी सी बी मार्गदर्शनों के अनुसार स्थिर सतत् परिवेशी वायुगुण मानीटरिंग प्रणाली की स्थापना शामिल है। बोर्ड ने फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक तथा पंचकुला में चार सतत् परिवेशी वायुगुण मानीटरिंग स्टेशन स्थापित किए हैं तथा इन स्टेशनों पर मानीटर डाटा प्रमुख लोक स्थानों पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं इस बोर्ड तथा सी0 पी0 सी0 बी0 के सरवर से जुड़े हुए हैं।

11.2 वर्ष 2015–16 के लिए सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग रिपोर्ट

11.2.1. सतत् परिवेशी वायुगुण मानीटरिंग केन्द्र, गुड़गांव

मानीटरिंग एजेंसी :		पर्यावरण एस ए इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड						
केन्द्र का नाम :		एच एस पी सी बी, विकास सदन, नए न्यायालय के सामने, गुड़गांव						
पैरामीटर / इकाई	**पीएम$_{10}$**	**पीएम$_{2.5}$**	**सीओ**	**एनओ**	**एनओ$_2$**	**एनओ$_x$**	**ओ$_3$**	**एसओ$_2$**
मास	मा.ग्रा./मी^{3}	मा.ग्रा./मी^{3}	मि.ग्रा./मी^{3}	मा.ग्रा./मी^{3}	मा.ग्रा./मी^{3}	मा.ग्रा./मी^{3}	मा.ग्रा./मी^{3}	मा.ग्रा./मी^{3}
जुलाई–15	93.57	68.11	0.97	17.65	19.15	36.57	17.50	3.88
अगस्त–15	105.71	47.03	0.88	12.10	22.51	33.60	18.85	2.88
सितम्बर–15	120.65	69.95	0.83	10.30	27.08	37.45	31.47	4.28
अक्तूबर–15	153.60	75.48	0.85	5.96	24.80	30.67	23.69	3.91
नवम्बर–15	188.81	84.40	1.49	6.05	13.22	18.73	18.38	4.54
दिसम्बर–15	*	106.44	1.49	11.46	18.58	28.85	16.42	5.05
जनवरी–16	*	109.99	1.23	8.83	24.31	32.89	16.57	5.76
फरवरी–16	*	105.70	1.40	8.96	27.97	36.93	21.55	6.20
मार्च–16	*	97.25	1.82	12.55	28.85	40.56	23.84	8.87

11.2.2 सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग केन्द्र, पंचकुला

मानीटरिंग एजेंसी :		पर्यावरण एस ए इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड						
केन्द्र का नाम :		एच एस पी सी बी, मुख्यालय, सी–11, सैक्टर–6, पंचकुला						
पैरामीटर / इकाई	पीएम $_{2.5}$	पीएम$_{10}$	सीओ	एनओ	एनओ$_2$	एनओ$_X$	ओ$_3$	एसओ$_2$
मास	मा.ग्रा. / मी^{3}	मा.ग्रा. / मी^{3}	मि.ग्रा. / मी^{3}	मा.ग्रा. / मी^{3}	मा.ग्रा. / मी^{3}	मा.ग्रा. / मी^{3}	मा.ग्रा. / मी^{3}	मा.ग्रा. / मी^{3}
अप्रैल–15	*	93.27	0.97	2.27	29.10	31.38	32.11	6.33
मई–15	56.02	*	0.81	2.65	30.22	32.86	38.96	5.75
जून–15	*	97.78	0.83	5.51	29.78	35.09	37.64	5.44
जुलाई–15	34.75	75.10	0.56	3.04	25.57	28.61	32.76	3.91
अगस्त–15	35.96	80.88	0.77	4.10	20.43	24.55	30.46	4.69
सितम्बर–15	44.38	85.67	0.73	3.29	23.32	26.62	39.03	5.94
अक्तूबर–15	45.87	95.94	0.86	5.50	30.08	35.58	33.05	5.04
नवम्बर–15	43.44	105.1	0.81	3.69	24.38	28.06	26.98	7.49
दिसम्बर–15	58.11	*	0.82	2.78	22.42	25.21	18.95	5.75
जनवरी–16	65.00	*	0.73	3.20	22.28	25.48	24.44	4.66
फरवरी–16	50.29	*	0.77	3.75	22.93	26.78	25.98	5.05
मार्च–16	41.18	*	0.82	3.03	25.45	28.38	26.22	5.59

11.2.3 सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग केन्द्र, बहादुरगढ़

मानीटरिंग एजेंसी :		पर्यावरण एस ए इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड						
केन्द्र का नाम :		एम डी विश्वविद्यालय, रोहतक, बहादुरगढ़						
पैरामीटर / इकाई	पीएम$_{10}$	पीएम$_{2.5}$	सीओ	एनओ	एनओ$_2$	एनओx	ओ$_3$	एसओ$_2$
मास	मा.ग्रा. / मी^{3}	मा.ग्रा. / मी^{3}	मि.ग्रा. / मी^{3}	मा.ग्रा. / मी^{3}	मा.ग्रा. / मी^{3}	मा.ग्रा. / मी^{3}	मा.ग्रा. / मी^{3}	मा.ग्रा. / मी^{3}
अप्रैल–15	95.71	*	0.62	9.88	28.10	38.05	27.38	3.87
मई–15	*	5.13	0.99	7.46	24.91	32.29	18.50	2.43
जून–15	95.75	*	0.60	6.91	18.99	25.90	24.41	2.66
जुलाई–15	72.56	54.46	0.62	9.14	29.10	38.24	18.25	2.55
अगस्त–15	83.40	36.64	0.83	9.42	26.65	35.92	21.02	2.30
सितम्बर–15	100.13	47.80	0.75	2.71	24.52	27.23	34.55	4.16
अक्तूबर–15	89.01	50.80	0.55	4.47	21.65	26.09	25.52	2.89
नवम्बर–15	102.87	57.09	0.97	4.84	20.24	25.05	18.64	3.80
दिसम्बर–15	*	73.15	0.93	5.85	25.22	31.07	18.93	3.64
जनवरी–16	*	61.42	0.74	9.35	23.09	32.41	20.26	3.94
फरवरी–16	*	68.27	0.98	9.79	21.59	31.38	20.17	4.55
मार्च–16	*	55.91	1.15	10.69	23.01	33.70	18.65	4.76

11.2.4 सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग केन्द्र, फरीदाबाद

मानीटरिंग एजेंसी :		इनवीरोटेक आनलाईन इक्वीपमैन्ट प्रा0 लिमिटेड						
केन्द्र का नाम :		एच एस पी सी बी, सैक्टर–16 ए, फरीदाबाद						
पैरामीटर / इकाई	**सीओ**	**SO_2**	**एनओ**	**NO_2**	**NO_x**	**O_3**	**PM_{10}**	**$PM_{2.5}$**
मास	मि.ग्रा. / मी^{3}	मा.ग्रा. / मी^{3}	मा.ग्रा. / मी^{3}	मा.ग्रा. / मी^{3}	मा.ग्रा. / मी^{3}	मा.ग्रा. / मी^{3}	मा.ग्रा. / मी^{3}	मा.ग्रा. / मी^{3}
अप्रैल–15	1.33	14.09	17.77	52.68	70.46	49.05	119.47	85.21
मई–15	0.96	7.85	18.17	56.03	74.15	42.07	284	79
जून–15	1.13	4.52	10.73	41.2	51.93	35.48	–	56
जुलाई–15	0.81	4.8	10.08	20.79	30.86	19.81	–	33
अगस्त–15	0.82	4.6	9.14	22.77	31.95	12.33	–	37
सितम्बर–15	एन/ए	6.55	16.63	33.35	49.84	24.85	–	50.4
अक्तूबर–15	एन/ए	8.53	38.81	69.25	108	29.19		108.3
नवम्बर–15	एन/ए	9.5	129	103	232	23	–	185.5
दिसम्बर–15	एन/ए	9.9	61.94	70.9	132.83	19.84	–	202.9
जनवरी–16	एन/ए	18.3	62.1	72.7	134.3	18.4	एन/ए	258
फरवरी–16	एन/ए	31.03	46.73	76.93	121.9	26.17	एन/ए	128
मार्च–16	1.2	31.5	31.2	43.3	74.8	29.7	–	96.6

अध्याय–12

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सहमति

12.1 लाल, नारंगी तथा हरे प्रवर्गों के अधीन औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं का प्रवर्गीकरण

बोर्ड ने केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन सहमति प्रबन्धन के प्रयोजन के लिए लाल, नारंगी तथा हरे प्रवर्गों के अधीन औद्योगिक सैक्टरों/परियोजनाओं को प्रवर्गीकृत किया है। उद्योगों/परियोजनाओं के लाल तथा नारंगी प्रवर्ग सहमति प्रबन्धन में आते थे जबकि उद्योगों/परियोजनाओं के हरे प्रवर्ग उद्योगों के हरे प्रवर्ग में कम प्रदूषण सम्भाव्य के दृष्टिगत सहमति प्रबन्धन से छूट प्राप्त थी। तथापि हरे प्रवर्ग की इकाईयां/परियोजनाओं के लिए प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र लगाने अपेक्षित थे जहां कहीं अपेक्षित हो तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अधीन प्रदूषकों के निवर्हन के लिए विहित मानकों का अनुपालन करना अपेक्षित था।

लाल तथा नारंगी प्रवर्ग के अधीन आने वाले उद्योगों/परियोजनाओं की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :–

क्षेत्र	लाल	नारंगी	कुल
बहादुरगढ़	384	798	1182
बल्लभगढ़	568	425	993
धारुहेड़ा	231	407	438
फरीदाबाद	349	114	463
गुड़गांव (उत्तर)	405	408	813
गुड़गांव (दक्षिण)	398	357	755
हिसार	193	659	852
जीन्द	443	517	960

पंचकुला	316	574	890
पानीपत	440	143	583
सोनीपत	301	489	790
यमुनानगर	580	427	1207
कुल	**4608**	**5518**	**10126**

12.2 जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापित करने की सहमति

लाल तथा नारंगी प्रवर्ग के अधीन आने वाली सभी औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं के लिए उनकी स्थापना या कोई विस्तार या उसके अतिरिक्त के लिए बोर्ड से स्थापना के लिए पूर्व सहमति अपेक्षित है।

जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापना के लिए सहमति की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :–

क्षेत्र	31.03.2015 को लम्बित आवेदन	2015–16 के दौरान प्राप्त आवेदन	कुल प्राप्त आवेदन	निर्णीत		लम्बित	
				स्वीकृत	अस्वीकृत	एस सी एन के अधीन	निर्णय के लिए लम्बित
बहादुरगढ़	2	106	108	96	12	0	0
बल्लभगढ़	0	101	101	78	23	0	0
धारुहेड़ा	0	113	113	85	28	0	0
फरीदाबाद	0	51	51	40	11	0	0
गुड़गांव (उत्तर)	0	169	169	147	20	0	2
गुड़गांव (दक्षिण)	0	146	146	118	28	0	0
हिसार	0	36	36	29	7	0	0
जीन्द	0	84	84	64	20	0	0

पंचकुला	0	62	62	47	15	0	0
पानीपत	16	118	134	104	27	0	3
सोनीपत	35	184	219	153	66	0	0
यमुनानगर	0	124	124	104	20	0	0
कुल	**53**	**1294**	**1347**	**1065**	**277**	**0**	**5**

12.3 जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन चलाने की सहमति

लाल तथा नारंगी प्रवर्ग के अधीन आने वाली सभी औद्योगिक इकाईयो/परियोजनाओं के लिए परीक्षण उत्पादन शुरु करने तथा पूर्व सहमति की समाप्ति से पूर्व चलाने की सहमति के नवीकरण से पूर्व बोर्ड से चलाने की पूर्व सहमति अपेक्षित है।

जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन चलाने की सहमति की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :–

क्षेत्र	सहमति प्रबन्धन में आने वाली इकाईयों की कुल संख्या	आवेदित	स्वीकृत	अस्वीकृत	निर्णय के लिए लम्बित
बहादुरगढ़	1182	1182	1123	34	25
बल्लभगढ़	993	993	967	26	0
धारुहेड़ा	638	446	438	8	0
फरीदाबाद	463	463	456	7	0
गुड़गांव (उत्तर)	813	410	385	11	14
गुड़गांव (दक्षिण)	741	738	709	29	0
हिसार	912	834	812	22	0
जीन्द	928	902	887	15	0

पंचकुला	890	890	817	48	27
पानीपत	584	584	554	30	0
सोनीपत	1081	1081	1048	33	0
यमुनानगर	1207	1207	1184	23	0
कुल	**10432**	**9730**	**9380**	**286**	**64**

अध्याय–13

खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, निपटान तथा ट्रांसबाउण्डरी संचलन) नियम, 2008

13.1 खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, निपटान तथा ट्रांसबाउण्डरी संचलन) नियम, 2008 के अधीन प्राधिकार

खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, निपटान तथा ट्रांसबाउण्डरी संचलन) नियम, 2008 में आने वाली सभी औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं के लिए बोर्ड से प्राधिकार अपेक्षित है।

खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, निपटान तथा ट्रांसबाउण्डरी संचलन) नियम, 2008 के अधीन प्राधिकार की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :–

क्षेत्र	एच डब्ल्यू एम नियमों में आने वाली कुल इकाई	आवेदित	स्वीकृत	अस्वीकृत	निर्णय के लिए लम्बित
बहादुरगढ़	254	254	234	6	14
बल्लभगढ़	317	317	308	9	0
धारुहेड़ा	173	173	173	0	0
फरीदाबाद	227	227	224	3	0
गुड़गांव (उत्तर)	536	281	266	3	12
गुड़गांव (दक्षिण)	622	621	615	6	0
हिसार	85	85	84	1	0
जीन्द	29	29	27	2	0
पंचकुला	134	128	121	7	0
पानीपत	362	362	339	23	0
सोनीपत	345	345	334	11	0
यमुनानगर	243	243	236	7	0
कुल	**3327**	**3065**	**2961**	**78**	**26**

13.2 खतरनाक अपशिष्ट के रिसाईकलिंग/पुनः प्रसंस्करण के लिए बोर्ड के पास रजिस्टर्ड इकाईयों की स्थिति

क्षेत्र	रजिस्टर्ड इकाईयों की संख्या
बहादुरगढ़	29
बल्लभगढ़	0
धारुहेड़ा	2
फरीदाबाद	0
गुड़गांव (उत्तर)	1
गुड़गांव (दक्षिण)	0
हिसार	0
जीन्द	0
पंचकुला	0
पानीपत	1
सोनीपत	0
यमुनानगर	11
कुल	**44**

13.3 खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, निपटान तथा ट्रांसबाउण्डरी संचलन) नियम, 2008 के अधीन वास्तविक उपभोक्ताओं की ओर से अनुसूची–iii के भाग–घ में सूचीबद्ध खतरनाक अपशिष्ट के आयात के लिए व्यापारी के रुप में रजिस्टर्ड इकाईयों की स्थिति।

अन्य अपशिष्ट के आयात के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यापारी जैसे कि धातु कतरन, कागज अपशिष्ट इत्यादि जो खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, निपटान तथा ट्रांसबाउण्डरी संचलन) नियम, 2008 की अनुसूची–iii के भाग–घ में सूचीबद्ध हैं, अपने रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को प्ररुप–16 में आवेदन कर सकता है जो कि एक मुश्त आधार पर स्वीकृत है तथा रजिस्टर्ड व्यापारी के लिए ऐसे आयात के ब्योरे तथा त्रैमासिक आधार पर संबंधित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या प्रदूषण नियन्त्रण समितियों को मात्रा सहित वास्तविक उपभोक्ताओं के ब्योरे प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं।

उपरोक्त कथित नियमों के अधीन इस वर्ष के दौरान वास्तविक उपभोक्ताओं की ओर से अन्य अपशिष्ट के आयात के लिए इच्छुक ऐसे व्यापारी को प्रदान किए गए रजिस्ट्रेशन की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :–

क्षेत्र	**वास्तविक उपभोक्ताओं की ओर से अनुसूची–iii के भाग–घ में सूचीबद्ध अन्य अपशिष्ट के आयात के लिए व्यापारी के रुप में रजिस्टर्ड इकाईयों की संख्या**
बहादुरगढ़	10
पंचकुला	2
सोनीपत	5
यमुनानगर	16
कुल	**33**

13.4 सामुहिक उपचार, संचयन तथा निपटान सुविधा (टी एस डी एफ) में खतरनाक अपशिष्ट की प्राप्ति तथा निपटान के बारे में स्थिति :

खतरनाक अपशिष्ट के उपचार तथा निपटान के लिए सामुहिक सुविधा राज्य सरकार तथा इस बोर्ड की सहायता से हरियाणा पर्यावरण प्रबन्धन सोसाइटी द्वारा पाली, जिला फरीदाबाद में विकसित की गई है जो कि मैसर्ज गुजरात एनवीरो संरक्षण तथा अवसंरचना (हरियाणा) (प्राईवेट) लिमिटेड द्वारा चलाई जा रही है।

सुविधा की अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता 25000 मिट्रिक टन प्रति वर्ष है जिसमें 12 से 14 टन प्रतिदिन की भस्मक क्षमता वाले, सुरक्षित भूमिभरत तथा भस्मीकरण से निपटान शामिल है।

सुविधा में वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्त, प्रसंस्कृत तथा निपटान खतरनाक अपशिष्ट के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :–

खतरनाक अपशिष्ट का वर्णन		एम टी में मात्रा
वर्ष के शुरु में स्टॉक में मात्रा	भूमिभरत योग्य	151.98
	भस्म योग्य	2034
प्राप्त खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा	सीधे सुरक्षित भूमिभरत के लिए	7363.2
	उपचार के बाद सुरक्षित भूमिभरत के लिए	952.51
	भस्मीकरण के लिए	16878
निपटान किए गए खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा	सीधे रुप से भूमिभरत मात्रा	7363.2
	उपचार के बाद भूमिभरत मात्रा	1103.426
	भस्मीकृत मात्रा	36.55.8
	नमी तथा अन्य	6473.53
विदग्धता के रुप में उपयोग के लिए पूर्व–प्रसंस्कृत मात्रा		445.515
वर्ष की समाप्ति पर स्टॉक में मात्रा	भूमिभरत योग्य	1.055
	भस्मयोग्य	8336.9

3.5 खतरनाक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के अधीन वार्षिक रिपोर्ट।

उत्पन्न, रिसाईकल्ड, उपयोग तथा निपटाए गए खतरनाक अपशिष्ट के ब्योरे दर्शाने वाली खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, निपटान तथा ट्रांसबाउण्डरी संचलन) नियम, 2008 के अधीन वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक रिपोर्ट नीचे दी गई है :–

जिले का नाम	खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उद्योगों की संख्या	प्राधिकार के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा (एमटीए)	वार्षिक विवरणी (एमटीए) के अनुसार उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा	वशवर्ती एस एल एफ में निपटान की मात्रा (एमटीए)	टी एस डी एफ (एमटी) में सामूहिक एस एल एफ के द्वारा निपटान मात्रा	वशवर्ती भस्मक (एमटी) द्वारा निपटान मात्रा	टी एस डी एफ (एमटी) में सामूहिक भस्मक के द्वारा निपटान मात्रा	सीमेंट पजावा में को – प्रसंस्कृत मात्रा (एम टी)	नियम 9 के अधीन प्रयुक्त मात्रा (एमटी)	खतरनाक अपशिष्ट अनुसूची – IV के रिसाईकलर में भेजी गई मात्रा (एमटी)	वशवर्ती उपयोग (एमटी)	वर्ष की समाप्ति पर अधिभोगी परिसर में भण्डार एच डब्ल्यू मात्रा (एमटी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
यमुनानगर	150	5305.14	4906.12	0	79.03	0	5.60	0	0	1133.73	0	3687.76
करनाल	83	1486.60	1286.80	0	28.12	0	3.30	0	0	282.05	0	973.34
पानीपत	365	9770.916	9770.916	228.78	564.53	0	0	0	5298.88	4.75	545	3128.973
गुड़गांव	630	8612.815	7480.7	0	4160	28.47	320.1	0	0	2180	0	792.13
रेवाड़ी	166	3388.63	3388.4	0	3016.5	321.89	0	0	0	50.01	0	0
महेन्द्रगढ़	5	1.36	1.36	0	1.36	0	0	0	0	0	0	0
सोनीपत	345	1090.083	830.20	0	487.25	53.33	174.815	0	0	87.903	0	26.942
फरीदाबाद	227	2089.2	2089.2	0	1136.31	0	0	0	0	35	0	917.89
जीन्द	13	10.421	6.903	0	4.264	0	0	0	0	1.389	0	1.25
भिवानी	12	22.132	12.132	0	8.969	0	0	0	0	2.068	0	1.095
कैथल	5	1.192	1.192	0	1.003	0	0	0	0	0	0	0.178
पंचकुला	134	2463.65	2148.3	0	850.93	0	395.4	0	0	3.68	0	898.29
गुड़गांव	535	19016.40	19016.432	325	956.04	911.4	7375.66	7813.662	0	1317.67	0	317
हिसार	62	1392.337	1334.821	0	170.68	0	4.52	0	0	1158.92	0	0
फतेहाबाद	5	17.33	17.33	0	16.2	0	0.03	0	0	1.1	0	0
सिरसा	18	41.885	41.885	0	36.38	0	4.1	0	0	1.4	0	0
फरीदाबाद	248	3700.98	3700.98	0	2620.21	0	74.84	0	0	263.07	0	242.85
झज्जर	168	3849.745	3849.745	0	1974.96	1820.06	0	0	0	54.73	0	0
रोहतक	86	1753.351	1753.351	0	1036.521	576.55	0	0	0	140.28	0	0
कुल	**3257**	**64015.20**	**61636.807**	**553.78**	**17149**	**3711.7**	**8358.37**	**7813. 662**	**5298.9**	**6717.75**	**545**	**11488**

अध्याय–14

अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2011

14.1 सामान्य

ई–अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा निपटान) निपटान, 2011 पर्यावरणीय रुप से अदूषित रिसाईकलिंग के लिए देश में उत्पन्न ई–अपशिष्ट चैनलाईज के मुख्य उद्देश्य से पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं जो असंगठित क्षेत्र द्वारा अधिकांश रुप से नियन्त्रित है जिसने अपशिष्ट प्रक्रिया अपनाई है जिसका परिणाम उच्चतर प्रदूषण है तथा समुत्थान कम है जिसके द्वारा कीमती संसाधनों की बर्बादी तथा पर्यावरण की क्षति होती है।

इलैक्ट्रोनिक अपशिष्ट या ई–अपशिष्ट को फैंके गए कम्प्यूटर, कार्यालय इलैक्ट्रोनिक उपकरण, मनोरंजन इलैक्ट्रोनिक्स यन्त्र, मोबाईल फोन, टेलीविजन सैट तथा रैफरीजरेटर के रुप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें प्रयुक्त इलैक्ट्रोनिक्स शामिल है जो कि पुनःप्रयोग, पुनःबिक्री, निकाला हुआ, रिसाईकलिंग या निपटान तथा पुनः प्रयोग योग्य (चालू तथा मुरम्मत योग्य इलैक्ट्रोनिक्स) तथा द्वितीय कुड़ा–कर्कट (तांबा, स्टील, प्लास्टिक इत्यादि) के लिए नियत है। मोटे तौर पर इसमें लोह, अलोह धातु, प्लास्टिक, शीशा, लकड़ी तथा प्लाईवुड, मुद्रित सर्किट बोर्ड, मृतिका, रबड़ तथा अन्य वस्तुएं शामिल है। तत्वों की मौजूदगी जैसे कि शीशा, पारा, संखिया, अरगजी, सलेनियम, हैक्सावालैन्ट करोमियम तथा देहली से बाहर अग्नि रिटारडैन्ट्स जो प्रकृति में खतरनाक ई–अपशिष्ट बनाते हैं।

ई–अपशिष्ट के प्रबन्धन में ई–अपशिष्ट से धातू, प्लास्टिक तथा शीशा सामग्री की प्राप्ति के लिए संग्रहण, पृथककरण, पुनःचमकाना, विखण्डित करना तथा रिसाईकलिंग करना शामिल है। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में ई–अपशिष्ट के पर्यावरणीय रुप से अदूषित संग्रहण, प्रसंस्करण, विखण्डित करने तथा रिसाईकलिंग के लिए मार्गदर्शन जारी किए हैं। ई–अपशिष्ट के विखण्डक तथा रिसाईकलर को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों के पास इकाईयों को रजिस्टर करना अपेक्षित है।

14.2 वर्श 2015–16 के दौरान ई– अपशिष्ट के रिसाईकलर/विखण्डक के रुप में रजिस्टर्ड इकाईयों की सूची

कम संख्या	इकाई का नाम तथा पता	गतिविधि रिसाईकलिंग/ डिसमैंन्टलिंग	ई– अपशिष्ट की मात्रा	वैधता
1.	ई–वेस्ट सोलूशन इंडस्ट्रीयल सोलूशन, शैड–1ए, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, सैक्टर–6, फरीदाबाद	डिसमैन्टलिंग	1000 एमटी/वार्षिक	06.08.2016
2.	मैसर्ज नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, 14/1, एम आर, फरीदाबाद	रिसाईकलिंग	5796 एमटी/वार्षिक	29.06.2017
3.	गिरीराज मैटल, पी नं0 39, एच एस आई आई डी सी, रोहतक	डिसमैन्टलिंग	2000 एमटी/वार्षिक	30.06.2015
4.	अर्थ वेस्ट मैनेजमेंट (पी) लि0, गांव –ईस्माईला, जिला रोहतक	डिसमैन्टलिंग	600 एमटी/वार्षिक	30.06.2015
5.	ग्रीन वर्ल्ड इंटरनैशनल (पी) लि0, ओईया, बहादुरगढ़	रिसाईकलर	5000 एमटी/वार्षिक	09.01.2016
6.	आर.के. सन्ज इंटरप्राईजिज (पी) लि0, गांव– लोहारी, जिला झज्जर	डिसमैन्टलिंग	14640 एमटी/वार्षिक	27.03.2016
7.	ग्रीन वोरटैक्स वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0 लि0, प्लाट नं0 179, सैक्टर–7, आई एम टी, मानेसर, गुड़गांव	डिसमैन्टलिंग	1500 एमटी/वार्षिक	04.05.2019
8.	3आर रिसाईकलर, प्लाट नं0 266, सैक्टर – 8, आई एम टी मानेसर, गुड़गांव	डिसमैन्टलिंग	1800 एमटी/वार्षिक	29.05.2015
9.	अर्थ सैन्स रिसाईकल प्रा0 लि0, प्लाट नं0 –100, सैक्टर–5, आई एम टी मानेसर, गुड़गांव	डिसमैन्टलिंग	2160 एमटी/वार्षिक	07.01.2017
10.	एस एम एस इंटरप्राईजिज,	डिसमैन्टलिंग	360	24.08.2016

	प्लाट नं0 544–डी, प्रथम मंजिल, सैक्टर–37, पेस सिटी–II, गुड़गांव (हरियाणा)		एमटी / वार्षिक	
11.	एक्सीगो रिसाईकलिंग प्रा0 लि0, जी.टी. रोड़, समालखा, पानीपत	डिसमैन्टलिंग तथा रिसाईकलिंग	5940 एमटी / वार्षिक	17.09.2015

अध्याय–15

बायो–मैडिकल अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2011

15.1 सामान्य

बायो–मैडिकल अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2011 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय (एम ओ ई एफ) द्वारा अधिसूचित किए गए थे। ये नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं जो किसी भी रुप में बायो–मैडिकल उत्पन्न, एकत्र, प्राप्त, स्टोर, परिवहन, उपचार, भस्म तथा निपटान का व्यापार करता है। राज्य में स्थित सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के संबंध में इन नियमों के उपबन्धों के लागूकरण के लिए "विहित प्राधिकारी" राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड है।

15.2 बायो–मैडिकल अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2011 के अधीन प्राधिकार की स्थिति

क्षेत्र	आवेदित	स्वीकृत	लम्बित	अस्वीकृत
बहादुरगढ़	259	258	0	1
बल्लभगढ़	189	189	0	0
धारुहेड़ा	165	165	0	0
फरीदाबाद	215	215	0	0
गुड़गांव (उत्तर)	349	349	0	0
गुड़गांव (दक्षिण)	48	48	0	0
हिसार	436	436	0	0
जीन्द	337	337	0	0
पंचकुला	384	384	0	0
पनीपत	139	139	0	0
सेनीपत	173	173	0	0
यमुनानगर	317	317	0	0
कुल	**3011**	**3010**	**0**	**1**

15.3 सामूहिक अपशिष्ट उपचार तथा निपटान सुविधा मे बायो–मैडिकल अपशिष्ट के उपचार तथा निपटान के लिए बायो–मैडिकल अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2011 के अधीन प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं के ब्योरे

बायो–मैडिकल अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2011 के अधीन प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं की सूची नीचे दी गई है :–

क्षेत्र	क्रम संख्या	इकाई का नाम तथा पता	क्षमता
पंचकुला	1.	मैसर्ज एस के हाईजेनिक, गांव बागवाला, पंचकुला, मोबाईलः– 09466100061	300 किलोग्राम प्रति घण्टा
	2.	मैसर्ज रुद्राक्ष एनवीरो केयर, गांव भड़ोग, नारायणगढ़, अम्बाला	300 किलाग्राम प्रति घण्टा
जीन्द	3.	दिव्या वेस्ट मैनेजमेंट कम्पनी, गांव कण्डेला, जीन्द	100 किलाग्राम प्रति घण्टा
	4.	मारुति बायो मैडिकल वेस्ट प्लांट, हतेमपुरा, भिवानी	100 किलाग्राम प्रति घण्टा
यमुनानगर	5.	मैसर्ज हाट सुप्रीम वैस्टेक प्राईवेट लिमिटेड, गांव बजीदा जाटान, निकट रेलवे क्रासिंग, करनाल	600 किलाग्राम प्रति घण्टा
फरीदाबाद	6.	मैसर्ज गोल्डन ईगल वेस्ट मैनेजमेंट कम्पनी, गांव – जसाना, फरीदाबाद	100 किलाग्राम प्रति घण्टा
बहादुरगढ़	7.	मैसर्ज एस.डी. बायो मैडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कम्पनी, गांव–बालन्द, जिला रोहतक	250 किलाग्राम प्रति दिन
गुड़गांव (उत्तर)	8.	मैसर्ज वुलकन वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0 लि0, गांव भोण्डसी, गुड़गांव	3600 किलोग्राम प्रति दिन
हिसार	9.	साईनरजी वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0 लि0, 168, सैक्टर–27–28, हुड्डा औद्योगिक क्षेत्र, हिसार	155612.96 किलाग्राम प्रति वर्ष
	10.	सूर्या वेस्ट मैनेजमेंट, साहूवाला रोड़, गांव चाडीवाल, जिला सिरसा	28610.550 किलोग्राम प्रति वर्ष
	11.	इनविजन एनवीरो सर्विस, गांव फुल्कान, जिला सिरसा	51138.90 किलोग्राम प्रति वर्ष

15.4 बायो मैडिकल वेस्ट मैनेजमेंट दृश्यलेख की स्थिति

क्षेत्र	कुल अपशिष्ट उत्पन्न (केजी / दिन)	भस्म योग्य	रिसाईकल योग्य	सुरक्षित भूमिभरत / गहरे ब्रेल / सैनिटरी भूमिभरत में निपटान योग्य	कुल एकत्रित अपशिष्ट (केजी / दिन)	कुल उपचारित तथा निपटान अपशिष्ट (केजी / दिन)
बहादुरगढ़	493	375	118	0	493	493
बल्लभगढ़	1674	811	863	0	1674	1674
धारुहेड़ा	199	120	79	0	199	199
फरीदाबाद	413	406	7	0	413	413
गुड़गांव (उत्तर)	3328	1823	1505	0	3328	3328
गुड़गांव (दक्षिण)	97.3	82.3	15	0	97.3	97.3
हिसार	1006	774	232	0	1006	1006
जीन्द	662	579	83	0	662	662
पंचकुला	1217	1038	179	0	1217	1217
पानीपत	250.39	212.39	38	0	250.39	250.39
सोनीपत	402	184	218	0	402	402
यमुनानगर	367	330	37	0	367	367
कुल	**10108.69**	**6734.69**	**3364**	**0**	**10108.69**	**10108.69**

अध्याय–16

बैटरी (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2001

16.1 सामान्य

बैटरी से अभिप्राय है शीशा एसिड बैटरी जो विद्युत उर्जा का स्त्रोत है तथा जिसमें शीशा धातु होती है। ये नियम बैटरियों तथा उनके घटकों के विनिर्माण, प्रसंस्करण, विक्रय, क्रय तथा उपयोग में शामिल प्रत्येक विनिर्माता, आयातकर्ता, रिकन्डीशनर, एसैम्बलर, डीलर, रिसाईकलर, निलामीकर्ता, उपभोक्ता तथा बल्क उपभोक्ता को लागू होते हैं।

16.2 बैटरी (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2001 के अधीन रजिस्टर्ड व्यापारियों की स्थिति

क्षेत्र	इकाईयों की संख्या
बहादुरगढ़	45
बल्लभगढ़	29
धारुहेड़ा	31
फरीदाबाद	11
गुड़गांव (उत्तर)	9
गुड़गांव (दक्षिण)	0
हिसार	0
जीन्द	4
पंचकुला	0
पानीपत	1
सोनीपत	13
यमुनानगर	0
कुल	**143**

अध्याय–17

प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2011

17.1 सामान्य

प्लास्टिक का बहुविध प्रयोग किया जाता है तथा रासायनिक विशेषता वाणिज्यिक सफलता का द्योतक है। तथापि, प्लास्टिक का अव्यवस्थित निपटान पर्यावरण के लिए मुख्य खटका बन गया है। विशेष रुप से प्लास्टिक लिफाफे बिखरे हुए अपशिष्ट का विशाल सहयोगी हैं तथा प्रत्येक वर्ष करोड़ों प्लास्टिक लिफाफे पर्यावरण अर्थात् मुद्रा, जल निकायों, जल मार्गों इत्यादि में समा जाते हैं तथा यह पूर्ण रुप से अपघटित होने में औसत एक हजार वर्ष लेते हैं। इसलिए, वैज्ञानिक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन की समस्या का समाधान करने के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2011 पर्यावरण, वन तथ जलवायु परिवर्तन, मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए थे जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन शामिल है।

17.2 प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2011 के लागूकरण की स्थिति

क्रम संख्या	**विवरण**	**टी पी ए के ब्योरे तथा मात्रा**	
1	प्रतिवर्ष अनुमानित प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन टन	19609504.06	
2	प्लास्टिक विनिर्माण इकाईयों की संख्या (जिसमें बहुपरत, कुड़ाखाद योग्य प्लास्टिक इकाईयां शामिल हैं)	प्लास्टिक इकाईयां	52
		कुड़ाखाद योग्य प्लास्टिक इकाईयां	एन ए
		बहुपरत प्लास्टिक इकाईयां	8
3	राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबन्धन के लिए पृथक अधिनियम/अधिसूचना, यदि	शहरी स्थानीय विभाग, हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक	

	कोई हो	20.08.2013 अदूषित तथा रिसाईकल्ड प्लास्टिक लिफाफों के विनिर्माण, विक्रय, वितरण, स्टाकिंग, परिवहन तथा उपयोग तथा प्लास्टिक खाद्य सामग्री के लिए प्रयुक्त रिसाईकल्ड प्लास्टिक डिब्बों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाती है।
4	उल्लंघन कर्ताओं की संख्या जिनके विरुद्ध शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा द्वारा जारी दिनांक 20.08.2013 की अधिसूचना के उपबन्धों के अनुपालन के लिए कार्रवाई की गई है।	103

अध्याय–18

प्रशिक्षण कार्यक्रम

18.1 वर्ष 2015–16 के दौरान बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अटैण्ड किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कर्मशालाओं के ब्योरे

क्रम संख्या	प्रशिक्षण शीर्षक	अनुसूची	प्रशिक्षण संस्था	प्रशिक्षण अटैण्ड करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम
1.	पर्यावरणीय संघात निर्धारण– ढ़ंग तथा प्रक्रिया	28–30 सितम्बर, 2015	ई एस सी आई, हैदराबाद	श्री दिनेश कुमार, ए ई ई, क्षेत्रीय कार्यालय, बल्लभगढ़ क्षेत्र
2	पर्यावरणीय विधान, व्याख्या, प्रवर्तन, विधि तथा वैधानिक अपेक्षा के मामले का अध्ययन	08–12 फरवरी, 2016	एन एल एस आई यू, बैंगलोर	श्री दिनेश कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक (मुख्यालय)
3	चार आर एस–कम करना, पुनः प्रयोग, रिसाईकिल तथा वसूल करना – मामले का अध्ययन	05–07 जनवरी, 2016	बी एस आई, पुणे	श्री राजिन्द्र सिंह, जे ई ई, क्षेत्रीय कार्यालय, पानीपत क्षेत्र
4	प्रयोगशाला गुण प्रणाली, आई एस ओ/ आई ई सी 17025 : 2005 के अनुसार प्रबन्धन तथा आन्तरिक लेखा परीक्षा	14–18, दिसम्बर, 2015	एन आई टी एस – नोएडा	श्रीमती नीरज बाला, जे एस ए, फरीदाबाद प्रयोगशाला, फरीदाबाद
5	नगरपालिका ठोस	07–09	आई आई	श्री कुलदीप सिंह, ई

	कचरा प्रबन्धन – संग्रहण, परिवहन तथा निपटान	दिसम्बर, 2015	डब्ल्यू एम – भोपाल	ई, क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद
6	स्त्रोत उत्सर्जन के अधीन अधिसूचित पैरामीटरों के लिए स्त्रोत उत्सर्जन मोनिटरिंग	02–04 दिसम्बर, 2015	पी सी आर आई, हरिद्वार	श्री नरेन्द्र हुड्डा, जे एस ए, फरीदाबाद प्रयोगशाला, फरीदाबाद
7	राष्ट्रीय परीवेशी शोर मोनिटरिंग नेटवर्क – देशीन, लागूकरण तथा नियन्त्रण तकनीक	08–10 फरवरी, 2016	आई आई टी, रुड़की	श्री विरेन्द्र पूनिया, ए ई ई, क्षेत्रीय कार्यालय, यमुनानगर
8	परीवेशी तथा ढ़ेर मोनीटरिंग तकनीक – प्रशिक्षण प्रहाथ	15–17 फरवरी, 2016	आई आई टी आर, लखनऊ	श्री संदीप सिंह, ए ई ई, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनीपत
9	पर्यावरण मोनीटरिंग में वर्तमान विचारधारा तथा पैट्रोलियम तथा पैट्रोकैमिकल उद्योग, निर्देश में कौशल	26–28 नवम्बर, 2015	आई आई टी, रुड़की	श्री शैलेन्द्र अरोड़ा, ए ई ई, क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद
10	वाहनीय उत्सर्जन तथा निकास नली मोनीटरिंग (ग्राही तथा विसर्जन मॉडलिंग)	23–27 नवम्बर, 2015	टी आर आई, दिल्ली	श्रीमती मीता सरीन, विज्ञानी – बी, गुड़गांव प्रयोगशाला, गुड़गांव
11	जलवायु परिवर्तन नजाकत तथा अनुकूलन कौशल	08–12 फरवरी, 2016	आई सी एफ आर ई, देहरादून	श्री राजेश गड़िया, विज्ञानी–सी (मुख्यालय)

12	ऑफिस ऑटोमेशन टूल्ज – एम एस वर्ड, एम एस एक्सल, एम एस पावर प्वाईंट तथा इंटरनेट पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण	12–16 अक्तूबर, 2015	हिपा	श्री शम्भू प्रसाद, लिपिक (मुख्यालय)
13	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर एक दिन की कार्यशाला	21 अक्तूबर, 2015	हिपा	श्री विनय गौतम, ए ई ई (मुख्यालय)
14	नोटिंग ड्राफ्टिंग के द्वारा प्रभावशाली संचार कौशल विकसित करना	2–6 नवम्बर, 2015	हिपा	श्रीमती राजिन्द्र कौर, सहायक (मुख्यालय)
15	हरियाणा वाद पॉलिसी, 2010 न्यायालय मामलों का निपटान –कोडल उपबन्ध तथा सरकारी हिदायत	09–10 नवम्बर, 2015	हिपा	श्रीमती रशिमा रानी, सहायक (मुख्यालय)
16	प्रशासन में पारदर्शिताः • एस पी आई ओ/ ए एस पी आई ओ के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम • सूचना प्रणाली का प्रबन्धन	18 नवम्बर, 2015	हिपा	श्री देवराज शर्मा, अधीक्षक (मुख्यालय)

	• रिकार्ड की सूची, तालिका बनाना तथा उसका प्रबन्धन			
17	पदोन्नत/नियमित लिपिकों की डियूटी तथा कार्य	16–20 नवम्बर, 2015	हिपा	श्रीमती रानी भटनागर, लिपिक (मुख्यालय)
18	जांच अधिकारी तथा प्रस्तुति अधिकारी का क्षमता निर्माण – प्रक्रिया तथा नियम	2 –3 दिसम्बर, 2015	हिपा	श्री विकास चन्द, ए ई ई, (मुख्यालय)

अध्याय–19

लोक शिकायतों का निवारण

19.1 वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्त लोक शिकायतों तथा निपटान की गई लोक शिकायतों की स्थिति

क्षेत्र	के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की संख्या			निपटान की गई शिकायतों की संख्या		
	हार्ड कॉपी	सी एम विन्डो पोर्टल	कुल	हार्ड कॉपी	सी एम विन्डो पोर्टल	कुल
बहादुरगढ़	73	39	112	73	39	112
बल्लभगढ़	66	10	76	66	10	76
धारुहेड़ा	58	16	74	58	16	74
फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0
गुड़गांव (उत्तर)	72	6	78	72	6	78
गुड़गांव (दक्षिण)	13	0	13	13	0	13
हिसार	23	14	37	23	14	37
जीन्द	3	29	32	3	29	32
पंचकुला	142	4	146	142	4	146
पानीपत	34	1	35	34	1	35
सोनीपत	17	9	26	17	9	26
यमुनानगर	21	55	76	21	55	76
कुल	**522**	**183**	**705**	**522**	**183**	**705**

अध्याय–20

पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई आई ए) अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 के अधीन लोक सुनवाई

20.1 सामान्य

ई आई ए अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 के अधीन अपेक्षित सरकारी जांच प्रक्रिया के भाग के रुप में लोक सुनवाई की गई है। यह हितबद्ध पक्षकारों को सार्वजनिक जनसभा में लिखित अनुरोध को स्पष्ट करने तथा समस्याओं पर विचार, जांच करने के लिए अवसर मुहैया कराती है। स्थान पर उपस्थित व्यक्ति को पर्यावरणीय समाशोधन की अपेक्षा के लिए परियोजना प्रस्तावकों से परियोजना की जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगने का अवसर प्रदान किया जाता है तथा भागीदारों द्वारा अभिव्यक्त सभी विचार तथा मामले लोक सुनवाई की कार्यवाही में अभिलिखित तथा प्रतिबिम्बित किए जाते हैं जिनपर ई आई ए अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 के अधीन परियोजना प्रस्तावकों के पर्यावरणीय समाशोधन के मामलों का निर्णय करते समय प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाता है।

लोक सुनवाई की प्रक्रिया में कोई संगठन या व्यक्ति या तो निवेदन पर बोलने या साधारणतया कार्यवाही का अवलोकन करने के लिए भाग ले सकता है।

20.2 बोर्ड द्वारा आयोजित लोक सुनवाई के ब्योरे

क्षेत्र का नाम	परियोजनाओं की संख्या जहां लोक सुनवाई आयोजित की गई है
धारुहेड़ा	1
गुड़गांव (दक्षिण)	1
पंचकुला	2
सोनीपत	15
यमुनानगर	8
कुल	**27**

अध्याय–21

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

21.1 सामान्य

सूचना का अधिकार अधिनियम (आर टी आई) प्रत्येक सरकारी प्राधिकारियों से विस्तृत प्रसार के लिए तथा सूचना के कतिपय प्रवर्गों की पूर्व सक्रियता के लिए अपने रिकार्ड को कम्प्यूट्रीकृत करने की अपेक्षा करता है ताकि औपचारिक रुप से सूचना के लिए अनुरोध हेतु नागरिक को कम से कम आवश्यकता का सहारा लेना पड़े।

एच एस पी सी बी बोर्ड की वेबसाईट अर्थात् www.hspcb.gov.in पर आर टी आई अधिनियम, 2005 की धारा 4 की अनुपालना में सुसंगत सूचना मुहैया करता है।

21.2 प्राप्त किए गए तथा निपटाए गए आवेदनों के ब्योरे

(I) बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	आवेदनों की संख्या		
	प्राप्त	निपटान	प्रकिया में
बहादुरगढ़	19	19	0
बल्लभगढ़	11	11	0
धारुहेड़ा	21	21	0
फरीदाबाद	64	64	0
गुड़गांव (उत्तर)	37	37	0
गुड़गांव (दक्षिण)	30	30	0
हिसार	54	54	0
जीन्द	17	17	0
पंचकुला	99	97	2
पानीपत	72	72	0
सोनीपत	71	71	0
यमुनानगर	33	33	0
कुल	**528**	**526**	**2**

(।।) बोर्ड के मुख्यालय द्वारा

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन कुल 214 आवेदन वर्ष 2015–16 के दौरान मुख्यालय में प्राप्त हुए थे तथा वर्ष 2015–16 के दौरान दिनांक 31.03.2016 तक 214 आवेदनों का निपटान कर दिया गया था। आर टी आई आवेदनों के लिए फीस के रुप में 8500/– रुपये संग्रहित किए जबकि आवेदकों को अतिरिक्त दस्तावेज मुहैया कराने के लिए प्रभारों के मद्दे 5790/– रुपये संग्रहित किए।

अध्याय–22

बजट रिपोर्ट

22.1 वित्त वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक प्राप्तियों के ब्योरे

क्रम संख्या	लेखा भीर्श	वास्तविक प्राप्ति (लाख रुपये में)
1	नमूना जांच फीस	228.54
2	जल सहमति फीस	1932.17
3	वायु सहमति फीस	2008.65
4	एन ओ सी फीस	275.30
5	लोक सुनवाई	22.80
6	प्राधिकार फीस/मान्यता फीस/अदूषित प्रदूषण फीस/ अपील फीस/सूचना का अधिकार फीस विविध प्राप्ति/स्टाफ कार का विक्रय	513.36
7	उपकर प्राप्तियां (भारत सरकार से)	365.43
8	(क) जमा पर ब्याज	2344.08
	(ख) स्टाफ को दिए गए अन्य अग्रिम पर ब्याज	8.38
9	केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (एन डब्ल्यू एम पी) से सहायता अनुदान	0.66
10	राज्य सरकार से सहायता अनुदान (निदेशक, पर्यावरण)	150.00
	कुल	**7849.37**

22.2 वित्त वर्श 2015–16 के वास्तविक खर्च के ब्योरे

क्रम संख्या		लेखा भीर्श	वास्तविक खर्च (लाख रुपये में)
(क)		वेतन	
	1	वेतन तथा भत्ते	1201.51
	2	चिकित्सा खर्च	40.08

	3	यात्रा भत्ता	9.37
		उप कुल	**1250.96**
(ख)		**अनुरक्षण**	
	1	कार्यालय खर्च तथा अन्य खर्च	298.57
	2	विधिक खर्च	59.96
	3	व्यावसायिक फीस	7.72
		उप कुल	**366.25**
(ग)		**अनावर्ती**	
	1	फर्नीचर तथा फिक्सचर	2.72
	2	कार्यालय मशीन तथा उपकरण	8.94
	3	कार्यालय का कम्प्यूट्रीकरण	16.22
	4	वाहन	10.96
	5	पुस्तकालय पुस्तकें तथा पत्रिकाएं तथा कम्प्यूटर आधारित सूचना	0.00
	6	लैब उपकरण/सामग्री/खर्च, कम्प्यूटर तथा मोडिव खर्च तथा कम्प्यूटर	63.75
	7	भुगतान किया गया आयकर	2000.62
		उप कुल	**2103.21**
(घ)		**कर्ज तथा अग्रिम**	
	1	**कर्ज तथा अग्रिम**	**12.76**
(ड़)		**कार्यालय भवन तथा आवासीय कम्पलैक्स का निर्माण/खरीद**	**9.06**
(च)		**अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं, रिपोर्ट तथा अध्ययन**	**11.57**
(छ)		**हुड्डा (घग्गर नदी) को ई.टी.पी. स्थापना के लिए उद्योगों को वित्तीय सहायता**	**53.75**
(ज)		**ईको क्लब/पर्यावरण जागरुकता**	**116.72**

I. राज्य सरकार	**100.00**	
II. भारत सरकार	**———**	
III. एच एस पी सी बी	**16.72**	
	कुल	**203.86**
कुल योग क+ख+ग+घ+ड़+च+छ+ज		**3924.28**